रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2000/कार्तिक 3, 1922
No. 547] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2000/KARTIKA 3, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2000

सा. का. नि. 837(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 40 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2000 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन,भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) नियम,1993) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

   "5. छुट्टी यात्रा रियायत-अध्यक्ष और सदस्य उसी छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियम, 1959 के अधीन क्रमशः भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है ।"

2912 GI/2000

3. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7. यात्रा भत्ते-अध्यक्ष और सदस्य, दौरे के दौरान [जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग में कार्यभार ग्रहण करने या राष्ट्रीय आयोग से उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्वनगर जाने के लिए की गई यात्रा की है] यात्रा भत्ते वैयक्तिक चीज वस्तु और वैसी ही अन्य समान सामग्री के परिवहन के लिए भत्ते,तथा उन्हीं दरों से दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश [यात्रा भत्ते] नियम,1959 के अधीन क्रमशः भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है ।

4. उक्त नियम के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा,अर्थात् :-

"8. **अन्य सेवा शर्तें.**—किराया मुक्त वास, प्रवहण सुविधा, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित सेवा शर्तें और अन्य ऐसी सेवा शर्तें जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के अध्याय 4 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को तत्समय लागू हैं, जहां तक हो सके, क्रमशः अध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगी।"

[फा. सं. 15011/23/2000-एच. आर.]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव (एच.आर.)

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 760[अ] तारीख 23/12/93 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 8[अ],तारीख 7.1.94 और सा.का.नि. 548 [अ], तारीख 20.7.99 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2000

G.S.R. 837(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries,